फा.सं. 609/83/2016-प्रतिअदायगी
भारत सरकार
वित्त मंत्रालय
राजस्व विभाग
(केन्द्रीय उत्पाद एवं सीमा शुल्क बोर्ड)
****

नई दिल्ली, दिनांक 31 अक्टुबर, 2016

सेवा में,
प्रधान मुख्य आयुक्त/प्रधान महानिदेशक,
मुख्य आयुक्त / महानिदेशक,
प्रधान आयुक्त/आयुक्त,
सभी सीबीईसी के अंतर्गत

विषय: प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों और अन्य प्रतिअदायगी से संबंधित परिवर्तन- की बाबत

महोदया/महोदय,

केंद्र सरकार ने अधिसूचना सं. 131/2016-सीमाशुल्क (गै.टे.), दिनांक 31.10.2016 के द्वारा प्रतिअदायगी की अखिल औद्योगिक दरों (एआईआर) में संशोधन किया है जो कि दिनांक 15.11.2016. से लागू होंगी। इन एआईआर में मोटे तौर पर संगत औसत मान दंडों को ध्यान में रखा गया है जिनमें अन्य बातों के साथ-साथ, आदानों की प्रचलित कीमतें, आदान-निर्गत मानक, आदानों की खपत में आयात का हिस्सा, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क और सीमाशुल्क की दरें, निर्यात माल के विनिर्माण या प्रसंस्करण में आदान सेवाओं के रूप में प्रयुक्त कर योग्य सेवाओं पर भुगतान किए गए सेवाकर के भार की आढ़त, एचएसडी/ फर्नेस ऑयल पर लगाए गए शुल्क के भार की आढ़त, निर्यात वस्तुओं की कीमत इत्यादि शामिल है। अधिसूचना को बोर्ड के वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है और परिवर्तनो के ब्यौरो को सावधानी पूर्वक गौर किया जाए। कुछ परिवर्तनों को नीचे दर्शाया गया है-

(क) अध्याय 45, 46 और 68 में दिए गए कतिपय वस्तुओं पर एआईआर दिया गया है ।

(ख) कुछ उत्पाद, जिन पर पहले केवल सीमाशुल्क की एआईआर लागू थी, अब संचित दरें लागू कर दी गई हैं। इन वस्तुओं में अध्याय 40 के रब्बर से बने पुर्जे (ऑटोमोबाइल और अन्य मशीनों के लिए) और अध्याय 49 के बच्चों के चित्र, ड्राइंग, क्लरींग बुक्स आदि, शमिल है ।

(ग) विवाद रोकने और सरलीकरण बढ़ाने हेतु कुछ विशेष प्रकार के टैरिफ मदों के विवरण में परिवर्तन किया गया है । इन वस्तुओं में अन्य के अलावा पैकेज्ड राइस, रब्बर पार्ट्स, चमड़े की बनी कुछ वस्तुएं, लेगिंग्स, फ्रॉक्स, बाइसाईकिल्स, सुरक्षा परख स्पोर्ट गियर आदि आते हैं ।

(घ) उत्पादो में बेहतर ढंग से अंतर सुनिश्चित करने के लिए कतिपय वर्तमान टैरिफ मदों को हटा कर या उनको बदल कर अलग टैरिफ लाइन बनाई गई है जिनमे सुरमी फिश पेस्ट (अध्याय 10), बेल्ट्स (अध्याय 39), लेदर वोवेन/ ब्रेडेड हैंड बैग (अध्याय 42), हैंड बैग्स/वैलेट्स आदि जो कि प्लास्टिक और या टेक्सटाइल मैटेरियल से बने हो (अध्याय 42), रिस्ट बैंड्स/टाई पिंस/नेकलेस जो कि चमड़े से बने हो (अध्याय 42), फिश नेट/स्पोर्ट्स नेट जो कि अलग अलग वस्तुओं से बनी हो (अध्याय 56/95), कुर्ता और सलवार/सलवार सुट्स/सलवार कमीज/चुड़ीदार कमीज, दुपट्टा के साथ और बिना दुपट्टा के (अध्याय 61 और 62), ब्लैंकेट्स आदि जो मिश्रित सुती और एमएमएफ वस्त्रों से बने हो (अध्याय 63), ग्लास आर्टवेयर/हैंडीक्राफ्ट जिसमें चेटंस लगे हों (अध्याय 70), धातु/स्टेनलेस स्टील की ट्यूब्स और पाइप फिटिंग्स (अध्याय 73), इंजन क्षमता के चार श्रेणी और प्रत्येक में मैनुअल या ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन की उप-श्रेणी पर आधारित मोटर कार (अध्याय87), एल्युमिनियम से बनी साईकिल फ्रेम (अध्याय 87), मुलायम खिलौने (अध्याय 95) शामिल हैं ।

(ङ) अधिसूचना के नोट और शर्तों में प्रतिअदायगी सूची के अध्याय 42 में आने वाले चमड़े की वस्तुओं के दायरे में विस्तार कर इसमें ऐसी वस्तुओ को शामिल किया गया है जिसकी बाहरी या आंतरिक सतह 60 प्रतिशत या इससे अधिक चमड़े की हो। ऐसा नई डिजाइन और व्यवसायिक तरीकों को देखते हुए किया गया है।

(च) विभिन्न अध्यायों में दी गई अवशिष्ट दरों को (सीमाशुल्क) 1.9 प्रतिशत से घटाकर 1.5 प्रतिशत और 1.4 प्रतिशत से घटाकर 1.1 प्रतिशत कर दिया गया है।

2. इस अधिसूचना में उन निर्यात परिधानों के वैकल्पिक एआईआर को भी निर्धारित किया गया है जिनका विनिर्माण अधिसूचना सं. 45/2016-सीमाशुल्क दिनांक 13.08.2016 के अनुसार निर्यात दायित्वों को पूरा करने में किया गया है। इन वैकल्पिक एआईआर का दावा करने के क्रम में, उस स्थिति में जब सेनवेट सुविधा का फायदा नहीं उठाया गया है अथवा जब सेनवेट सुविधा का फायदा उठाया गया है, सामान्य प्रत्यय 'क' अथवा प्रत्यय 'ख' के स्थान पर संबंधित टैरिफ मद के पश्चात क्रमश: प्रत्यय 'ग' अथवा प्रत्यय 'घ' को जोड़ा जाना है। परिपत्र संख्या 37/2016- सीमाशुल्क में दी प्रक्रिया लागू की जाए ।

3. अधिसूचना का पैरा 3, सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 के नियम 7, के उप-नियम (3) की शर्तों के अनुसार सीमाशुल्क के समुचित अधिकारी द्वारा अनंतिम प्रतिअदायगी के रूप में किए जाने वाले भुगतान की धनराशि विनिर्दिष्ट करता है। यह निर्यात की जाने वाली वस्तुओं की तद्नुरूपी एआईआर के सीमाशुल्क घटक, यदि लागू हो के समतुल्य है और उन सभी शर्तों के अद्यधीन है जो कि उस घटक के दावे पर लागू हैं। इस प्रकार के दावे की प्रक्रिया परिपत्र सं. 29/2015-सीमाशुल्क के अनुबंध 1 के अनुसार है जो कि परिपत्र सं. 37/2016-सीमाशुल्क में निर्धारित घोषणा में दिए गए अंतर के अनुसार विशेष अग्रिम प्राधिकार के संबंध में कपड़ों के निर्यात पर लागू होती है। इस वितरण के अंतर्गत अनंतिम प्रतिअदायगी के रूप में अदा की गई धनराशि को केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिकारी द्वारा ब्रांड दर मामलों में 11.10.2003 के अनुदेश सं. 603/01/2011-प्रतिअदायगी के पैरा 5क से 5ग के अनुसार इस सुविधा को जारी रखते हुए अनंतिम प्रतिअदायगी (जहां कहीं आवश्यक हो) की प्राधिकारिता के संबंध में ध्यान में रखा जाए।

4. एआईआर के दावे के अंतर्गत पैकेज्ड चावल के निर्यात के मामले में यह स्पष्ट किया जाता है कि- (क) जहां किसी भी सामग्री के बने मास्टर पैक में, टैरिफ लाइन में विनिर्दिष्ट सामग्री और पैक के आकार के अनुसार पैकेज्ड चावल है तो पात्र प्रतिअदायगी की दर, पैक आकार की प्रतिअदायगी दर है; और (ख) जहां टैरिफ लाइन में निर्धारित पैकेजिंग सामग्री के अलावा अन्य सामग्री के छोटे पैक हैं जो टैरिफ लाइन में विनिर्दिष्ट सामग्री से बने हुए बड़े मास्टर पैक में पैक है तो पात्र प्रतिअदायगी की दर, मास्टर पैक के आकार पर लागु प्रतिअदायगी की दर होगी।

5. यह नोट किया गया है कि क्षेत्रीय कार्यालय अलग-अलग प्रतिअदायगी टैरिफ लाइन, जिसमें एआईआर 4-अंकीय स्तर पर प्रदान की जाती है अपितु 4-अंकीय विवरण विनिर्दिष्ट रूप से ''कल-पुर्जे'' शब्द को नहीं दर्शाता है, के अंतर्गत मशीनों के कल-पुर्जों के संबंध में प्रतिअदायगी की अनुज्ञेयता के मुद्दे को निर्यातकों के साथ उठाते रहते हैं। प्रतिअदायगी अनुसूची अधिसूचना संबंधी टिप्पणी और शर्तों में यह विनिर्दिष्ट किया गया है कि प्रतिअदायगी अनुसूची की टैरिफ मदों और वस्तुओं के विवरण को सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मदों और वस्तुओं के विवरण के अनुसार 4-अंकीय स्तर पर एक समान बनाया गया है और सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 की प्रथम अनुसूची की व्याख्या संबंधी सामान्य निय, प्रतिअदायगी अनुसूची में सूचीबद्ध निर्यात की वस्तुओं को वर्गीकृत करते समय आवश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे। तथापि, प्रतिअदायगी अनुसूची में इस स्थिति की परवाह नहीं करते हुए कुछ कल-पुर्जे टिप्पणियों और शर्त 3 (।।) के अनुसार वर्गीकृत है। इसका अभिप्राय यह है कि यदि मशीनों के कल-पुर्जे सीमाशुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 की प्रथम अनुसूची की टैरिफ मद के अंतर्गत 4-अंकीय स्तर पर आते हैं तो प्रतिअदायगी अनुसूची के अंतर्गत भी वे 4-अंकीय टैरिफ मद के अंतर्गत आएंगे जब तक उन्हें टिप्पणियों और शर्तों में अन्यथा विनिर्दिष्ट नहीं किया गया है ।

6. एआईआर में संशोधन के अलावा केंद्र सरकार ने सीमाशुल्क, केंद्रीय उत्पाद शुल्क और सेवाकर प्रतिअदायगी नियमावली, 1995 में नियम 8 के उप-नियम (1), जो कि यदि प्रतिअदायगी की धनराशि निर्यात की एफओबी कीमत के 1 प्रतिशत से कम है, सिवाय उन मामलों के जिनमें प्रतिअदायगी लदान की धनराशि 500 रुपए से अधिक हो, ऐसे निर्यात पर (डाक के माध्यम से निर्यात अथवा अग्रिम प्राधिकारित के अंतर्गत निर्यात के अलावा) अखिल औद्योगिक दर अथवा ब्रांड दर प्रतिअदायगी की अनुमति नहीं देता है, को दिनांक 31.10.2016 की अधिसूचना सं. 132/2016-सीमाशुल्क (गै.टे) से विलोपित करने के लिए संशोधन किया है। यह विलोपन 15.11.2016 से प्रभावी है।

7. आयुक्तों से यह आशा की जाती है कि वे किसी प्रकार के दुरुपयोग को रोकने को सुनिश्चित करने के लिए सावधानी बरतें। निर्यात के समय संवेदनशील समझे जाने वाले मानदंडों के शिपिंग बिलों पर समुचित देखभाल करते हुए कार्रवाई की जाए। इसके अलावा एआईआर की सम्मिलित (उच्चतर) दर के दावे के मामले में निर्यात स्तर पर ही प्रोसेसिंग में विनिर्दिष्ट रूप से ''सेनवेट फायदा नहीं उठाया का प्रमाण-पत्र'' इत्यादि की उपलब्धता को सुनिश्चित किया जाए। टैरिफ मद संख्या 711301, 711302 अथवा 711401 के संबंध में एआईआर के दावों के मामलों में परिपत्र सं. 30/2016-सीमाशुल्क के अनुसार निर्यातक की घोषणा की उपलब्धता सुनिश्चित की जाए तथा सीमाशुल्क अधिकारी द्वारा इसे लेट एक्सपोर्ट आर्डर स्टेज पर रिकार्ड किया जाए।

8. किसी शिपिंग बिल में मद ब्यौरा और प्रतिअदायगी ब्यौरा में की गई घोषणाओं में होनेवाले किसी बेमेल के कारण प्रतिअदायगी की अधिक धनराशि को रोकने के लिए निरंतर समीक्षा किए जाने की आवश्यकता है। यह भी सुनिश्चित किया जाना जारी रखा जाए कि निर्यात किए जाने वाली वस्तुओं के निर्माण अथवा प्रोसेसिंग में निर्यातक एआईआर का दावा करते समय किसी अन्य तंत्र के माध्यम से सेवाओं पर अदा किए गए सेवाकर के रिफंड का फायदा ना उठा ले।

9. व्यापार सुविधा की द्रिष्टी से, किए गए परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाले मुद्दों पर शीघ्रता से गौर करने के लिए. केन्द्र सरकार द्वारा गठित प्रतिअदायगी समिति का कार्यकाल बढ़ा दिया गया है। तदनुसार, 1.1% और 1.5% की संशोधित अवशिष्ट दर से अधिक के लिए, अवशिष्ट दरों के उत्पादों के निर्यातक डेटा के साथ तुरंत, यदि हो, आगे आ सकते हैं।

10. उपयुक्त सार्वजनिक नोटिस और स्थायी आदेश व्यापार और अधिकारियों के मार्गदर्शन के लिए जारी किया जाना चाहिए। कोई विसंगति, त्रुटि या कठिनाई का सामना करना पडे तो बोर्ड को सूचित किया जाए । जहां विशिष्ट उत्पादों पर कैप लगाए जाने की जरूरत है, आयुक्त उचित डाटा के साथ विवरण सूचित कर सकते हैं।

(राजीव तलवार)
संयुक्त सचिव, भारत सरकार
टेल: 23341079